



## झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी परिसर ( साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस),  
सिरखा टोली, नामकुम, राँची - 834010 (झारखण्ड)

पत्रांक :- SBTE-774/2013/614  
प्रेषक,

/राँची, दिनांक :- 03/08/19

कुलसचिव,  
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
सह-सचिव, रा0प्रा0शि0 पर्षद, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,  
सिल्ली पोलिटेकनिक  
सिल्ली, झारखण्ड।

**विषय :- सिल्ली पोलिटेकनिक, सिल्ली के शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के संबद्धता के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि विभागीय संकल्प सं0- SBTE-89/2014/1184 दिनांक- 02.08.2019 के कंडिका- 7(i) के अनुसार "जिन संस्थानों ने अपने संबद्धता हेतु Application for Affiliation अथवा Affiliation Fee संबंधित शैक्षणिक वर्ष के 15 मई के पूर्व SBTE, Ranchi कार्यालय में समर्पित कर दिया था, उन्हें W.P. (c) No. 1877 of 2019 Nilai Educational Trusts Group of Institution V/s State of Jharkhand में दिनांक-13.06.2019 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में उस शैक्षणिक वर्ष के लिये अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण प्रदान किया जाय"।

अतः उपरोक्त के आलोक में पूर्व में निर्गत पत्रांक-SBTE-774/2013/68 दिनांक-14.03.2019 को रद्द करते हुए आपके संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन

  
कुलसचिव

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
सह-सचिव, रा0प्रा0शि0 पर्षद, राँची।

  
3/8/19